



सत्यमेव जयते

कुलाधिपति  
Chancellor

डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन् राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय,  
.....University,  
राज भवन, जयपुर – 302006  
Raj Bhawan, Jaipur

क्रमांक : एफ.30(2)आरबी / 2025 / 5789  
दिनांक : 18 अक्टूबर, 2025

### आदेश

मैं, हरिभाऊ बागडे, राज्यपाल, राजस्थान एवं कुलाधिपति, डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन् राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर उक्त विश्वविद्यालय के अधिनियम, 2002 (यथा संशोधित) की धारा 24(3) व 24(7) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए खोजबीन समिति की सिफारिश पर, राज्य सरकार के परामर्श से प्रो. गोविन्द सहाय शुक्ल, विभागाध्यक्ष, रस शास्त्र एवं भेषजय, डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन् राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर को कार्यभार संभालने की तिथि से तीन वर्ष या सत्तर वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने तक, इनमें से जो भी पहले हो, के लिए डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन् राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर का कुलगुरु नियुक्त करता हूँ।

यह नियुक्ति सक्षम प्राधिकारी द्वारा सतर्कता अनापत्ति प्रस्तुत करने के अधीन होगी।

हस्ता० /—

(हरिभाऊ बागडे)

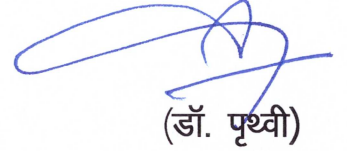
राज्यपाल, राजस्थान एवं कुलाधिपति

क्रमांक : एफ.30(2)आरबी/2025/5790

दिनांक : 18 अक्टूबर, 2025

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. प्रमुख शासन सचिव, आयुर्वेद विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. प्रो. गोविन्द सहाय शुक्ल, विभागाध्यक्ष, रस शास्त्र एवं भेषजय, डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन् राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर।
5. डॉ. एम.के. आसेरी, कार्यवाहक कुलगुरु, डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन् राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर।
6. कुलसचिव, डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन् राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर।
7. प्रभारी अधिकारी, आई.टी. सैल, राजभवन को वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।



(डॉ. पृथ्वी)

सचिव,

राज्यपाल, राजस्थान